न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 50/2011 निर्णय दिनांक :–13.02.2025

उनवानी दावा :

1. कुशलचन्द पुत्र चौथमल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)
   1/1–लाड देवी पत्नि स्व0 कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
   1/2–सरिता पुत्री कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
   1/3–ममता पुत्री कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
   1/4–मुकेश पुत्र कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
   1/5–शिमला पुत्री कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. श्रीमति विमला देवी पत्नि बसन्तीलाल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. अभय पुत्र बसन्तीलाल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. ललिता पत्नि पवन कुमार जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. अनुरेस पुत्र पवन कुमार जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाडा (राजमहल) तहसील देवली जिला टॉक राज0
2. गोकुल पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गोविन्दराम पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. बद्री पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टॉक राज0
5. नाथी पत्नि लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री बाबूलाल मीणा
विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज एवम स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण नं. 1 ता 5 के पिता दादा व ससुर स्व. चौथमल की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 59 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम सतवाड़ा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली में स्थित हैं। उक्त भूमि में वादीगण नं. 1 के पिता का 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 के पिता लादू का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। जब–तक वादीगण नं. 1 का पिता जिन्दा रहा खातेदार एवं काबिज–काश्तकार था और इसकी मृत्यु के बाद उक्ता भूमि पर वादीगण नं. 1 का निरन्तर अबाध रूप से आज तक कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। जिसके हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 हैं। वादीगण नं. 1 के पिता चौथमल का देहान्त हो चुका हैं। स्व. चौथमल के तीन पुत्र हुए जिनमें वादीगण नं 1. बसंतीलाल,

13.2.25

पवन कुमार हैं। जिसमें से बसंतीलाल वा पवन कुमार की मृत्यु हो चुकी हैं। वादीगण नं. 2 व 3 स्व. बसंतीलाल के वारिस हैं तथा वादीगण नं. 4 व 5 स्व. पवन कुमार के वारिस हैं। उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 50 रकबा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 को हाल ही ही में हुए सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण नं. 1 के पिता की खातेदारी, कब्जा–काश्त की उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति की खातेदारी में लगा दिया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति की भी मृत्यु हो चुकी हैं। वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं। जबकि उक्त खसरा नम्बर पर वादीगण नं. 1 ता 5, 1/2 हिस्से पर कब्जा हैं। उपरोक्त वर्णित हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 में 1/2 भाग पर वादीगण नं. 1 ता 5 के पिता, दादा, व ससुर के की मृत्यु के बाद से ही वादीगण के कब्जा–काश्त में चली आ रही हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति ने सेटलमेन्ट अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि को अपने खाते में लगवा ली हैं। जबकि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 का उक्त भूमि में केवल मात्र 1/2 हिस्सा हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के उक्त खातेदारी के अवैध अंकन के कारण मन में बेईमानी आ गई हैं, और आये दिन वादीगण की हैसियत को चेलेन्ज करता हैं। वादीगण के कब्जा–काश्त में बाधा उत्पन्न करता है। वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने का असफल प्रयास कर रहा हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 वादीगण को ऐलानिया धमकी देता हैं कि अगर इस खेत पर आये तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देगें। इस कारण प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक हैं कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी पारिवारिक सदस्यों से उक्त आराजी के 1/2 भोग पर वादीगण नं. 1 ता 5 के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें, वादीगण नं. 1 ता 5 के उपयोग–उपभोग में बाथा उत्पन्न नहीं करे, वादीगण नं. 1 ता 5 के हिस्से की भूमि पर कोई निर्माण नहीं करे तथा पाबंध रहे। उक्त वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से को सेटलमेन्ट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से वादीगण के पिता, दादा व ससुर की खातेदारी आराजी को प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति की खातेदारी में इन्द्राज/अंकन कर दिया हैं जिसे वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में करवाने के अधिकारी हैं और ऐसा किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण नं. 6 लेण्ड हॉल्डर होने से उनको वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया हैं। बिनाय दावा दिनांक 01.04.09 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ने वादीगण नं. 1 ता 5 को अपने हिस्से की भूमि पर जाने से मना किया तब से लगातार उत्पन्न हो रहा हैं जो निरन्तर जारी हैं। विवादग्रस्त भूमि व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं। इस कारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त हैं। उक्त वाद पत्र उचित कोर्ट फीस व अंदर मियाद पेश हैं।

वादीगण की अधियाचना हैं कि – 13.2.25

Scanned with OKEN Scanner

(अ) दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 बाबत् उद्घोषणा खातेदारी डिक्री सादिर फरमाया जाकर वादीगण नं. 1 ता 5 को हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सतवाड़ा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली (टोंक) को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाचे, और प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन से हटाकर/दुरूस्त कर वादीगण का नाम अंकित/इन्द्राज किया जायें।

(ब) प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिए पाबंध किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी पारिवारिक सदस्यों से उक्त आराजी के 1/2 भाग पर वादीगण नं. 1 सा 5 के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे, वादीगण नं. 1 त्ता 5 के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, चाचीगण नं. 1 ता 5 के हिस्से की भूमि पर कोई निर्माण नहीं करे तथा पाबंध रहे।

(स) खर्चा मुकदमा व अन्य सहायता जो वादीगण के हक में प्रदान की जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मीणा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–वाद पत्र का चरण नं. 1 अस्वीकार है। खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0, हाल जमाबन्दी प्रतिवादीगण 1 ता 5 खातेदार है। वाद पत्र के चरण नं 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र का वरण नम्बर 3 अस्वीकार है। उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 69 रकबा 08 है0, प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 बतौर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है। सम्पूर्ण खसरा नम्बर पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 काबिज व स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 4 अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 5 में जिस तरह की इबारत की गई है व गलत एवं अस्वीकार है। खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 राजस्व रिकार्ड मे हम प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम बतौर खातेदार इन्द्राज है जो मौके पर गैर मु0चाह कुऑ है। उक्त कुए से केवल मात्र प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ही अपनी जमीन की सिंचाई उपयोग, उपभोग करते है। उक्त कुंऐ का निर्माण भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 5 के पति ने स्वंय के पैसे खर्च कर करवाया था और तब से लेकर आज तक उक्त कुऐ का उपयोग, उपभोग प्रतिवादीगण ही कर रहे है। उक्त खसरा नम्बर 69 राकबा 0.08 है0 गैर मु0 चाह कुऐ में वादीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है और ना ही उक्त गै0मु0 चाह का उपयोग, उपभोग वादीगण ने कभी किया है। इस प्रकार हम प्रतिवादीगण को श्रीमान के द्वारा किसी प्रकार से पाबन्द फरमाये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नम्बर 6 गलत एवं अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नम्बर 8 गलत एवं अस्वीकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई बिनाय दावा दिनांक 1/4/2009 को उत्पन नही हुआ है। वाद पत्र का चरण नम्बर 9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नम्बर 10 कानूनी है जवाब

Scanned with OKEN Scanner

की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र के चरण नम्बर 11 में जो अभियाचना की गई है, वह गलत एवं अस्वीकार है। अतः प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 को ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

तनकियात बिन्दू

1. आया वादीगण आराजी आराजी ख. नं. 69 रकबा 0.08 है0 ग्राम सतवाड़ा पटवार हल्का राजमहल तह0 देवली की हि. 1/2 की खातेदारी घोषित करवाने व उक्तानुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने के हकदार है ? —वादीगण—
2. **आया प्रति0गण प्रस्तुत वाद न्यायोचित नहीं है? प्रस्तुत जवाब न्यायोचित है ?** **—प्रतिवादीगण—**

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू—1 कुशलचंद पुत्र श्री चौथमल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली का पेश किया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू—1 ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:—प्रदर्श—1 जमाबन्दी, प्रदर्श—2 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श—3 नामान्तकरण, प्रदर्श—4 पुरानी जमाबन्दी पेश किये है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू—1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्यवादी बन्द की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी नें साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू—1 गोविन्दराम पुत्र लादू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0, डी. डब्ल्यू—2 शिवराज पुत्र नारायण जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी नयागावं (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0 का पेश किया।

अधिवक्ता वादी द्वारा जिरह नहीं करना जाहिर करने से जिरह प्रतिवादी बंद की गई

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण नं. 1 ता 5 के पिता दादा व ससुर स्व. चौथमल की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 59 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम सतवाड़ा में स्थित हैं। उक्त भूमि में वादीगण नं. 1 के पिता का 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 4 के पिता लादू का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। मौके पर हिस्से अनुसार ही वादगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 50 रकबा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 को हाल ही ही में हुए सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण नं. 1 के

13.2.25

Scanned with OKEN Scanner

पिता की खातेदारी, कब्जा–काश्त की उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति की खातेदारी में लगा दिया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति ने सेटलमेन्ट अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर उक्त खसरा नम्बर की सम्पूर्ण भूमि को अपने खाते में लगवा ली हैं। जबकि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 का उक्त भूमि में केवल मात्र 1/2 हिस्सा हैं। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के उक्त खातेदारी के अवैध अंकन के कारण मन में बेईमानी आ गई हैं, और आये दिन वादीगण की हैसियत को चेलेन्ज करता हैं। उक्त वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से को सेटलमेन्ट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से वादीगण के पिता, दादा व ससुर की खातेदारी आराजी को प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता व पति की खातेदारी में इन्द्राज/अंकन कर दिया हैं जिसे वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में करवाने व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं । अतः वादीपक्ष वाद डिक्री किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो का ही दोहरान करते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 69 रकबा 0.08 है0 राजस्व रिकार्ड मे हम प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 5 के नाम बतौर खातेदार इन्द्राज है जो मौके पर गैर मु0चाह कुआँ है। उक्त कुए से केवल मात्र प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 ही अपनी जमीन की सिंचाई उपयोग, उपभोग करते है। उक्त कुंऐ का निर्माण भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 5 के पति ने स्वंय के पैसे खर्च कर करवाया था और तब से लेकर आज तक उक्त कुऐ का उपयोग, उपभोग प्रतिवादीगण ही कर रहे है। उक्त खसरा नम्बर 69 राकबा 0.08 है0 गैर मु0 चाह कुऐ में वादीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है और ना ही उक्त गै0मु0 चाह का उपयोग, उपभोग वादीगण नें कभी किया है। अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

<u>तनकीवार निर्णयः–</u>

<u>तनकी नं. 1 का निर्णयः</u>– तनकी नं. को साबित करने का भार वादीगण पर था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2036–39 में लादू पुत्र मांगीलाल कोम जाट हि. 1/2 चौथमल वल्द भंवरलाल कोम महाजन हि0 1/2 सा. देह के नाम साबिक ख. नं. 59 रकबा 7 बिस्वा गै. मु. चाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 नामान्तकरण पंजिका ग्राम सतवाड़ा तहसील देवली में कॉलम नं. 11 में लादू पुत्र मांगीलाल कोम जाट हि. 1/2 चौथमल पुत्र भंवरलाल हि0 1/2 कोम महाजन सा. देह के नाम साबिक ख. नं. 59 रकबा 7 बिस्वा गै. मु. चाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है और कॉलम संख्या 14 में यह अंकन है जरिये रजिस्ट्री नं. 16 दिनांक 03.02.75 के अनुसार और कॉलम संख्या 16 विशेष विवरण में यह अंकन है कि श्रीमान जी निवेदन है कि नामान्तकरण भरकर पेश है। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 साबिक ख. नं. 59 रकबा 7 बिस्वा से हाल ख. नं. 69 रकबा 0.08 है0 दर्शित है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2065–68 हाल ख. नं. 69 रकबा 0.08 है0 गै. मु. चाह जगदीश गोकल गोविन्दराम बदरी पुत्र नाथी बेवा लादू जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

13.2.25

उक्तानुसार प्रदर्शित दस्तावेजो व प्रलेखिय साक्ष्य का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि जमाबन्दी सम्वत 2036–39 में लादू पुत्र मांगीलाल कोम जाट हि. 1/2 चौथमल वल्द भंवरलाल कोम महाजन हि0 1/2 सा. देह के नाम साबिक ख. नं. 59 रकबा 7 बिस्वा गै. मु. चाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थी और इसकी ताईदी नामान्तकरण पंजिका प्रदर्श–3 से भी होती है। प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046–65 साबिक ख. नं. 59 रकबा 7 बिस्वा से हाल ख. नं. 69 रकबा 0.08 है0 गै. मु. चाह दर्शित है और वर्तमान में हाल ख. नं. हाल ख. नं. 69 रकबा 0.08 है0 गै. मु. चाह लादू के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण उक्त विवादित आराजी में 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम चाहते है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के बाद की कोई जमाबन्दी या अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो सके कि किस प्रकार से उक्त विवादित आराजी में से वादीगण का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में लग गया। वादीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर अपने कब्जेकाश्त के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र गवाह अथवा विवादित आराजी के आसपास के खातेदार काश्तकारो के भी बयान नहीं करवाये है। वर्तमान में विवादित आराजी ख. नं. 69 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों व प्रलेखिय साक्ष्यो से वाद को साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी नं. 2 का निर्णय:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पर था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 व 2 के अलाव अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की हैसियत रखने के कारण इस तनकी का निर्णय आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा वाद को दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो से साबित नहीं करने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.02.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

कोर्ट अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली

व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो.....

उनवानी दावा :

1. कुशलचन्द पुत्र चौथमल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)

1/1–लाड देवी पत्नि स्व0 कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/2–सरिता पुत्री कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/3–ममता पुत्री कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/4–मुकेश पुत्र कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/5–शिमला पुत्री कुशलचन्द जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

2. श्रीमति विमला देवी पत्नि बसन्तीलाल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. अभय पुत्र बसन्तीलाल जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. ललिता पत्नि पवन कुमार जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. अनुरेस पुत्र पवन कुमार जाति जैन निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाडा (राजमहल) तहसील देवली जिला टॉक राज0
2. गोकुल पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गोविन्दराम पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. बद्री पुत्र लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टॉक राज0
5. नाथी पत्नि लादू जाति जाट निवासी सतवाड़ा (राजमहल) तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज एवम स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 50 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली ।बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री बाबूलाल मीणा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादीगण द्वारा वाद को दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो से साबित नहीं करने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....।बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

मुहर

ओहदा ..... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताने वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	NA		बाबत् इजरायहुक्मनामा	Nil	
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner